न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

21/2026

श्री गोविन्द व्यास पुत्र रामेश्वर व्यास, निवासी बस स्टेण्ड, दूनी जिला टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 9.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को आवेदन पत्र दिनांक 03.11.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1. नगर पालिका दूनी द्वारा जारी किये गये सभी परटे (आवासीय/व्यवसायिक) की छाया प्रति (जो तहसील कार्यालय दूनी में रजिस्टर्ड किये गये है) उपलब्ध करवाई जाये।
2. नगर पालिका दूनी द्वारा भूमि संपरिवर्तन हेतू भेजे गये सभी प्रकरणों में तहसीलदार /नायब तहसीलदार/गिरदावर/पटवारी द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोटर्स की छाया प्रति उपलब्ध करवाई जाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी को पत्र कमांक 300 दिनांक 16.02.2026, 407 दिनांक 4.03.2026 व 503 दिनांक 11.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र कमांक 199 दिनांक 13.03. 2026 से जवाब प्रेषित किया है प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नियम 8(1)(J) के अनुसार जो कि व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को सूचना देने की बाध्यता नही होगी। अतः आवेदन पत्र में अंकित सूचना जो व्यक्तिगत संबंधित होने से नियमानुसार देय नही है। अपीलान्ट को उनके पत्र कमांक 1259 दिनांक 23.12.2025 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

817